



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चौकी शेखपुरा पर पथराव करने व पुलिसकर्मियों के साथ
अभद्र व्यवहा करने वाला मुख्य आरोपी/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को चौकी शेखपुरा कदीम पर भीड द्वारा पथराव करने , पुलिस पार्टी के साथ गाली गलौज करने, दुर्व्यवहार करने व पुलिस फोर्स द्वारा रोकने पर सरकारी कार्य मे बाधा डालने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर पर है0का0 917 धर्मवीर सिंह द्वारा मु0अ0स0 425/24 धारा 190/191(2)/352/351(3)/125/221/223/121(1)/126(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त कारी नौशाद पुत्र शमशाद नि0 ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0देहात जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम शेखपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

कारी नौशाद पुत्र शमशाद नि0 ग्राम शेखपुरा कदीम थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 795 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 08.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त/वारंटी सत्यपाल पुत्र चन्दू लाल निवासी ग्राम फतेहपुर जट्ट काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** के न्यायालय श्रीमान एडीजे महोदय कक्ष स0 04 सहारनपुर वाद संख्या 1662 /2019 धारा 135 विधुत अधिनियम को ग्राम फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सत्यपाल पुत्र चन्दू लाल निवासी ग्राम फतेहपुर जट्ट काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2011 अजय कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक - 08.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 **अभियुक्त/वारंटी सत्यपाल पुत्र चन्दू लाल निवासी ग्राम फतेहपुर जट्ट काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** के न्यायालय श्रीमान एडीजे महोदय कक्ष स0 04 सहारनपुर वाद संख्या 1662 /2019 धारा 135 विधुत अधिनियम को ग्राम फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सत्यपाल पुत्र चन्दू लाल निवासी ग्राम फतेहपुर जट्ट काजीपुरा नवादा रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2011 अजय कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा सट्टा लगवाने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 8800/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान सट्टा लगवाने वाले 02 अभियुक्तगण 1. अर्जुन पुत्र सतपाल हरिजन निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 2. मधु पुत्र राधे श्याम निवासी मौ0 कायस्थवाडा निकट राधा बल्लभ मन्दिर कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को 8800 रुपये के साथ राधा बल्लभ मन्दिर के पीछे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 673/24 धारा 13 जुआ अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अर्जुन पुत्र सतपाल हरिजन निवासी ग्राम हासिमपुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. मधु पुत्र राधे श्याम निवासी मौ0 कायस्थवाडा निकट राधा बल्लभ मन्दिर कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 8800/- रुपये नकद
- 02 सट्टा पर्चा,
- 02 गत्ता
- 02 पैस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. है0का0 698 संदीप भाटी थाना देवबंद जिला सहारनपुर
3. है0का0 158 जितेन्द्र कुमार थाना देवबंद जिला सहारनपुर
4. का0 2107 रवि राठी थाना देवबंद जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2024 को वादी शनि अरोड़ा पुत्र प्रेम कुमार की लिखित तहरीर बावत आलोक अग्रवाल पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात द्वारा वादी को न्यूज मे भ्रामक खबर निकालकर धमकी देकर 75 हजार रू0 लेना व धमकी देकर 01 लाख रूपये की अतरिक्त मांग करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 586 धारा 351(3)बीएनएस व 66 आईटीएक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त आलोक अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी बसंत विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 586/2024 धारा 308(5)/351(2) बीएनएस** को मस्कन मौ0 बसन्त विहार से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आलोक अग्रवाल पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी बसंत विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभियुक्त आलोक अग्रवाल का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-83/2022 धारा-420,504,506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0-322/2023 धारा-384,506 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0-29/2024 धारा-120(बी),386,388,420,468,471,504,506 भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. महिला उ0नि0 स्वेता शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. है0का0 763 अमरपाल थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. है0का0 357 अनुज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. का0 283 हिमांशू थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक:08.12.202

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.12.2024 को **01 वारण्टी अभियुक्त 1- टीनू पुत्र चन्द्रबोस नि0 ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 1994/24 व मु0अ0स0 220/23 धारा 323/504/506/308 भादवि अधिनियम थाना बडगाँव (मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष-11 जनपद सहारनपुर) में चन्दपुर मजबता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

टीनू पुत्र चन्द्रबोस नि0 ग्राम चन्दपुर मजबता थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0 220/2023 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना बडगाँव जिला स0पुर
- 2- मु0अ0सं0 116/2021 धारा 379/411/420 भादवि थाना मण्डी जिला स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1- उ0नि0 श्री रणपाल सिंह थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
- 2- कां0 547 अंकुश तोमर थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।



दिनांक: 08.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी हिस्ट्रीशीटर अपराधी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर 01 वारण्टी अभियुक्त **खुशीद पुत्र अलीहसन नि0 बेहट रोड हसनपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 8921/23 मु0अ0सं0 151/14 धारा 379/411 भादवि में बेहट रोड हसनपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसका विस्तृत अपराधिक इतिहास है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

अभियुक्त खुशीद पुत्र अलीहसन नि0 बेहट रोड हसनपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 605/09 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 363/02 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 428/07 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 66/08 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 304/03 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 18/95 धारा 380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 604/09 धारा 401 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 168/11 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 488/12 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 177/13 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 257/13 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 282/13 धारा 392/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 46/15 धारा 380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 76/15 धारा 380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 80/15 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 81/15 धारा 25 आयुध अधि0 थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 06/21 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
18. मु0अ0सं0 615/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
19. मु0अ0सं0 120/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
20. मु0अ0सं0 75/22 धारा 379/414/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय पाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 526 सनव्वर ताज थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 152 गौरव त्यागी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर



दिनांक - 08.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा फर्जी जमानत लेने वाले 06 अभियुक्तों को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2024 को वादी श्री राजीव भल्ला पुत्र स्व० श्री सुदर्शन कुमार भल्ला निवासी गोविन्द बिहार निकट रोज पब्लिक स्कूल जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत बाबत अभियुक्तगण 1- दीपिका शर्मा पुत्री ओमकिशन शर्मा, 2- विशाल शर्मा पुत्र ओमकिशन शर्मा, 3- सुमन शर्मा पत्नि नरेश शर्मा, 4- नरेश शर्मा पुत्र स्वर्णजीत शर्मा, 5- शिवाली पत्नि करणदीप शर्मा 6- करणदीप शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा निवासीगण अमृतसर (पंजाब), 7- राजबल पुत्र कर्म सिंह 8- बालेन्द्र पुत्र जगपाल सिंह, 9- ओमकैलाश पुत्र मोल्हू, 10- राजपाल पुत्र संघवा उर्फ साधू, 11- अरविन्द पुत्र ब्रिम सिंह, 12- आजाद पुत्र गूलरचन्द निवासीगण ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर 13- संजय पुत्र भूषण लाल, 14- राकेश पुत्र चतरू निवासीगण ग्राम तल्हेडी बुजुर्ग व मानकी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर व 15- शहजाद अहमद अधिवक्ता कचहरी परिसर सहारनपुर के द्वारा गलत तरीके से पेशेवर जमानतियों के साथ जमानत कागजात/बेल बाण्ड सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 25/24 धारा 420/120 बी भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए फर्जी जमानत लेने वाले कुल 06 वांछित अभियुक्तगण 1- राजबल पुत्र कर्म सिंह, 2- बालेन्द्र पुत्र जगपाल सिंह, 3- ओम कैलाश पुत्र मोल्हू, 4- राजपाल पुत्र संघवा उर्फ साधू, 5- अरविन्द पुत्र विक्रम सिंह व 6- आजाद पुत्र गूलरचन्द समस्त निवासीगण ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर को एसबीडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त विवेचनात्मक कार्यवाही एवं गिरफ्तारी के आधार पर धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- राजबल पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर
- 2- बालेन्द्र पुत्र जगपाल सिंह निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर
- 3- ओम कैलाश पुत्र मोल्हू निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर
- 4- राजपाल पुत्र संघवा उर्फ साधू निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर
- 5- अरविन्द पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर
- 6- आजाद पुत्र गूलरचन्द समस्त निवासी ग्राम कपासा थाना नागल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. निरीक्षक श्री सुनील शर्मा, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री उ०नि० चन्द्रपाल सिंह, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 731 पोपिन, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
5. का० 2552 विकास कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही से चोरी के 02 इन्वर्टर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र ओम कुमार निवासी ग्राम नगला माफी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खेड़ा अफगान बस स्टैंड के पास स्थित बैटरी इन्वर्टर की दुकान की पिछली दीवार को फोड़कर दुकान से इन्वर्टर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियुक्तगण 1. निशान्त पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ धरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर व 2. वसीम पुत्र असगर निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त निशान्त उपरोक्त को दिनांक 22.10.2024 को चोरी के 03 इन्वर्टर बरामद कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.12.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नकबजन **अभियुक्त वसीम पुत्र असगर निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम नल्हैड़ा के पास स्थित गन्ने के सेन्टर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी के 02 इन्वर्टर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त वसीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 12.10.24 को रात्रि के समय ग्राम खेड़ा बस स्टैंड पर स्थित एक दूकान में से मैंने व मेरे साथी ने इन्वर्टर बैटरी की एक दुकान में चोरी थी। निशान्त ने 03 इन्वर्टर मुझे दे दिये थे और बाकी इन्वर्टर वह ले गया था। मैंने 03 इन्वर्टर में से 01 इन्वर्टर आते जाते कबाड़ी को बेच दिया था और दो इन्वर्टर को मैंने सेन्टर के पीछे गन्ने के खेत में छिपा दिये थे। छिपाये हुए इन्वर्टर का कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा था तो मैं उनको बेच नहीं सका।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वसीम पुत्र असगर निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

02 इन्वर्टर (स्काई लार्क कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 412 शाहरून हसन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर